

26  
अपर उपायुक्त का न्यायालय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

कोल्हान टाईटल(पर्टीशन) वाद संख्या- 25/1998

दुखिया प्रधान।

बनाम


वंशीधर प्रधान एवं अन्य।


आदेश

यह वाद दिनांक- 12.08.1998 को दुखिया प्रधान, पिता- स्व० कोदाकर प्रधान, निवासी- पदमपुर, थाना- जगन्नाथपुर, पो०- सियालजोड़ा, जिला- पश्चिमी सिंहभूम द्वारा वाद पत्र के Schedule 'B' में वर्णित भूमि के लिए प्रतिवादी संख्या 1. वंशीधर प्रधान, पिता- स्व० कोदाकर प्रधान, 2. भोकता प्रधान, पिता- स्व० चोकरो प्रधान, 3. मोसमात बानो देवी प्रधान, पति- स्व० चोकरो प्रधान, तीनों का ग्राम- पदमपुर, थाना- जगन्नाथपुर, पो०- सियालजोड़ा, जिला- पश्चिमी सिंहभूम एवं अन्य 2 के विरुद्ध यह वाद दायर किया गया है। इस वाद में लम्बे समय से उभय पक्षों की ओर से कोई पैरवी नहीं करने के कारण नोटिस भेजा गया। नोटिस मिलने के बाद दोनों पक्षों की ओर से दिनांक- 26.02.2022 को अंतिम उपस्थिति दी गई। लेकिन सुनवाई हेतु कई तिथि गुजर जाने के बाद भी वादी प्रतिवादी या उनके अधिवक्ता की ओर से वाद भूमि के लिए कोई अभिरुचि नहीं ली जा रही है।

अतः दोनों पक्षों को वाद भूमि में अभिरुचि नहीं रहने के कारण वाद को खारीज (Dismiss for Default) किया जाता है एवं वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

  
09.04.22  
अपर उपायुक्त,  
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

  
09.04.22  
अपर उपायुक्त,  
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।